



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 123]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 1989/फाल्गुन 24, 1910

No. 123]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 1989/PHALGUNA 24, 1910

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1989

का. आ. 187(अ) :— कॉयर बोर्ड (सेवा) उप विधि 1983 का और संशोधन करने के लिए कॉयर बोर्ड (कारखानों का
संध्यवहार कर्मचारियों की सेवा शर्तें और लेखाओं का रखा जाना) उप विधि, 1955 की उप विधि 15 के साथ पठित कॉयर उद्योग
अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉयर बोर्ड द्वारा बनाई गई निम्न-
लिखित उप विधियां, जिनकी केन्द्रीय सरकार ने पुष्टि कर दी है, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उप धारा (2) की अपेक्षाानुसार
प्रकाशित की जाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कॉयर बोर्ड (सेवा) संशोधन उप विधि, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

2. कॉयर बोर्ड (सेवा) उप विधि, 1983 में,—

(क) निदेशक अनुसंधान, विकास प्रशिक्षण और विस्तारण पथ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः
स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	व्ययन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अयोग्य शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
निदेशक (विपणन)	एक* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क"	5700-125- 4700-150- 5000 रु.	व्ययन	40 वर्ष से अधिक टिप्पण : आयु सीमा अनिवार्य करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अस्थायियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	कारबार प्रबंध में स्नातकोत्तर उपाधि तथा काँवर अनुभवी के विपणन या उसके निमित्त संबर्धन का 5 वर्ष का अनुभव। टिप्पण: 10, अर्हताएं अथवा गृहित अभ्यर्थियों की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार विधिवत की जा सकती है। टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल हो जा सकती है (हैं) जब व्ययन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शक्तियों को भरने के लिए अयोग्य अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं भर्ती की पद्धति (भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा) तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

8	9	10
कारबार प्रबंध में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विपणन (विज्ञापन) निर्यात के संबर्धन के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति काँवर बोर्ड के ऐसे अधिकारी जो 3000-450 रु. के वैतनमान में हैं और जिन्होंने उस पद पर के नियुक्ति के पश्चात् नियमित आकार पर उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा कर ली है।

ख. संयुक्त निदेशक (योजना के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए मातृ सीमा
1	2	3	4	5	6
संयुक्त निदेशक (योजना)	एक* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क"	3000-100- 3500-125- 4500 रु.	चयन	4 वर्ष

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और
अन्य अर्हताएं

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं

7	8
<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य तथा उद्योग, अधिमानतः ग्रामीण और लघु उद्योगों से संबंधित योजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वयन का 7 वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1. अर्हताएं अनिवार्य सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अशिक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	<p>प्रादेशिक अधिकारी/विकास अधिकारी/उपनिदेशक/प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और 2200-4000 रु. के वेतनमान में समलप पदों पर 5 वर्ष का अनुभव या अनुभाग अधिकारी/उपविकास अधिकारी के रूप में और 2000-3500 रु. के वेतनमान में समलप पदों पर 7 वर्ष का अनुभव। उसे किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य या सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए।</p> <p>टिप्पण : शैक्षिक अर्हताएं उन योग्य-अभ्यर्थियों की दशा में जिन्होंने क्रमशः 2200-4000 रु./2000-3500 रु. के वेतनमान में पोषक श्रेणियों में 12/15 वर्ष सेवा पूरी कर ली है, शिथिल की जा सकती है, परन्तु यह तब जब कि स्नातक पर अर्थशास्त्र, वाणिज्य या सांख्यिकी एक विषय रखा हो चाहे वह विषय मुख्य हो या सहायक।</p>

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

9
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

10
समतुल्य काडर के विकास अधिकारी उप निदेशक प्रशासनिक अधिकारी और गैर तकनीकी अधिकारी।

प्रादेशिक अधिकारी के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :--

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
प्रादेशिक अधिकारी दो*		समूह "क"	3000-100- 3500-12-4500 रु.	चयन	40 वर्ष से अनधिक टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और प्रोन्नति के लिए ग्यूनतम अर्हताएं परीक्षा की अवधि यदि कोई हो

7

8

प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर की उपाधि तथा योजना 2200-4000 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष और विकास में 3 वर्ष का अनुभव। का अनुभव।

टिप्पण 1 अर्हताएं अन्यथा सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए प्रारंभित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

9

10

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

कॉयर बोर्ड के ऐसे अधिकारी जो 2200-4000 रु. वेतनमान में हो और जिनके पास स्तम्भ 8 में दर्शित अनुभव हो।

[फा. सं. 2 (13)/87-कॉयर

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1989

S.O. 187(E).—The following bye-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with bye-laws 15 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-laws 1955 further to amend Coir Board (Services) Bye-laws, 1983 and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by Sub-section (2) of Section 27 of the said Act, namely :—

1. (i) These bye-laws may be called the Coir Board (Services) Amendment Bye-laws, 1989.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Coir Board (Services) Bye-laws, 1983;
 - (a) after the post of Director (Research, Development, Training & Extension) and the entries relating thereto the following shall be inserted :—

Name of Post	No. of Posts	Classifications	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Director (Marketing)	One* *Subject to variation depending on work load.	Group A	Rs. 3700-125-4700-150-5000.	Selection	Not exceeding 40 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (other than in Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands etc.)	Post graduate degree in Business Management with 5 years experience in Marketing or export promotion of coir goods. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Minimum qualifications for promotion	Method of recruitment whether by direct requirement by or promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
8	9	10
Post graduate degree in Business Management with 7 years experience in the field of Marketing/Sales/Export Promotion.	Promotion failing which by deputation/transfer including on short term contract) failing both by direct recruitment.	Promotion : Officers of the Coir Board in the scale of Rs. 3000-4500 with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis

(b) For the entry relating to the post of Joint Director (Planning) and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

Name of post	No. of posts	Classifications	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Joint Director (Planning).	One	Group-A	Rs. 3000-100-3500-125-4500.	Selection	45 years.	First Class or Second Class Masters Degree in Commerce / Economics / Statistics of recognised University or equivalent with 7 years experience in formulation and implementation of plans relating to industry, preferably village and small industries.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates

[भाग II--खंड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : समाचार

7

1	2	3	4	5	6	7
						belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Minimum qualifications for promotion	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
--------------------------------------	---	---

8	9	10
5 years experience as Regional Officer/ Development Officers/Dv. Director/ Administrative Officer and similar posts in the scale of Rs. 2200-4000 or 7 years experience as Section Officer/Dy. Development Officer and similar posts in the scale of Rs. 2000-3500. He/She must be a graduate of recognised University in Economics, Commerce or Statistics. Note : Educational qualification can be relaxed in the case of deserving candidates having in 12/15 years' of service in the feeder grades in the scale of Rs. 2200-4000/2000-3500 respectively provided that Economics, Commerce or Statistics was one of the subjects (either or subsidiary) at Graduation level."	Promotion failing which by direct recruit.	Development Officer/Deputy Director/Adm. Officer & non-technical Officers of equivalent cadre.

र का
उद्योग
निम्न-
दुसार

त संतः

(c) For the entry relating to the post of Regional Officer and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruit
1	2	3	4	5	6	7
Regional Officer	Two* *Subject to variation depending on work load	Group-A	Rs. 3000-100-3500-125-4500	Selection	Not exceeding 40 years. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Union Territory of the Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	First or High Second Class Master's Degree with 3 years' experience in planning and development. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Minimum qualifications for promotion	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
8	9	10
Five years' experience in the scale of pay of Rs. 2200-4000.	Promotion filling which by direct recruitment.	Officers of the Coir Board in the scale of pay of Rs.2200-4000 and possessing the experience as shown against Column 8.

[File No. 2(13)/87-Coir]
G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.